

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर

(जिला— गोरखपुर, उठप्र०)

संख्यांक / निरीक्षण / ० ६६६-६७

/ २०१८-१९

तारीख— ०८-८-१८

प्रबन्धक,

किस किंगल एकेडमी

हथिया पश्च, दुमरी नौवाड़वल, खोरावार, गोरखपुर।

विषय—निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९ की धारा १८ के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम २०१० के नियम १५ के उपनियम (४) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके तारीख १३-०७-२०१८ के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राज्ञात / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं किस किंगल एकेडमी हथिया पश्च, दुमरी नौवाड़वल, खोरावार, गोरखपुर को तारीख ०१-०७-२०१८ से तारीख ३०-०६-२०२१ तक तीन वर्ष की अवधि के लिए ग्री-प्राइवेट, ग्री-प्राइवेट एवं ग्री-सर्कारी स्तर (ग्री-प्राइवेट स्तर से पूर्व जी वो कक्षाएं तथा एक से आठ तक के परिसरों) के लिए अध्यार्थी भाष्यम् की अनंतिम, मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त, मंजूरी निम्नलिखित कार्यों के पूरा किए जाने के अध्यार्थ हैं :-

१—मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा ८ के पश्चात मान्यता/ संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवरित नहीं है।

२—विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम २००९ (उपाध्यक्ष १) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम २०१० (उपाध्यक्ष २) के उपबंधों का पालन करेगा।

३—विद्यालय कक्षा १ में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा के बालकों की संख्या के २५ प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

४—प्री-३ में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा १२ की उपधारा (२) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्रदान करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

५—सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संस्कार को किसी स्थीरिंग प्रक्रिया के अध्यार्थीन नहीं करेगा।

६—विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा १५ के उपबंधों का पालन करेगा।

विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :

(i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यार्थीन नहीं किया जायेगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम २५ के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकारित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यामान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करें।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगे।

7-विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकारित पादयचर्या के आधार पर पादयक्रम का यातन करेगा।

8-विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं।

> विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल- 100187 वर्गफीट

> कुल निर्मित क्षेत्र - 10000 वर्गफीट

> क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल - 90187 वर्गफीट उपलब्ध है।

> कक्षाओं की संख्या -10 उपलब्ध है।

> प्राध्यापक-सह- कार्यालय-सह- भांडागार के लिए कक्ष-उपलब्ध है।

> बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय -उपलब्ध है।

> पेयजल सुविधा -उपलब्ध है

> मिड-डे-मिल पकाने के लिए रसोई-उपलब्ध

> वाधारहित पहुँच -उपलब्ध है।

> अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्कर्ता/पुस्तकालय की उपलब्धता -उपलब्ध है।

9-विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।

10-विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ास्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11-विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12-स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के साथ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।

13-विद्यालय के लेखाओं को किसी चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।

14-आपको विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड C/497/2018 है, कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भत्ताचार के लिये इस संख्याक का प्रयोग करें।

15-विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।

16-सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।

17-शिक्षकों/कर्मचारियों की नियुक्ति में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जू0हा0स्कूल) (अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्त) नियमावली 1978 में विहित प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

①

संस्कृत विद्यालय
कार्यालय

18—जिस विद्यालय भवन पर उक्त मान्यता प्रदान की जा रही है, उस विद्यालय भवन पर पूर्व से प्राप्त की गयी मान्यता स्थिर निरस्त समझा जायेगा।

19—मान्यता आवेदन पत्र तथा संलग्न पत्राजारों में उल्लिखित अन्य कोई विवरण/तथ्य असत्य पाये जाते हैं अथवा कोई तथ्यगोपन पाया जाता है या मान्यता आदेश प्रमाण—पत्र में जिन कक्षाओं का उल्लेख है उसके अतिरिक्त अन्य कक्षाएँ संचालित पाये जाने पर मान्यता प्रमाण—पत्र नियमानुसार निरस्त कर दिया जायेगा।

भवदीय

(बीठेन्डसिंह)
जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर ।

पृष्ठो—संख्याक /निरीक्षण/

प्रतिलिपि—सहायक शिक्षा निदेशक (वैसिक) गोरखपुर मण्डल गोरखपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

/2018-19 तददिनांक

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर